बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–11 / अ0प्र0–07–08 / 2014 438 / पटना, दिनांकः– 5-8-25

श्री विजय प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन अनुसेवक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा, प्रतिनियुक्त अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिना किसी सूचना / आदेश के स्वेच्छा से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने संबंधी आरोपों के लिये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त समीक्षोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम–76(क)(ख) के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या–355–सह–पठित ज्ञापांक–10811 दिनांक 19.09.2013 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से इन्हें सेवा मुक्त किया गया।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–15069 / 2014 दायर किया गया। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2023 को पारित न्यायादेश में श्री गुप्ता के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया गया। साथ ही मामले को वापस करते हुए जॉच के स्तर से नियमानुसार विचार करने का आदेश दिया गया है। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

From bare perusal of the impugned order dated 19-09-2013 (Annexure 1 to the writ petition), it is apparent that the same has been passed without considering the representation filed by the petitioner- The relevant fact is quoted hereinbelow :-

".....समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री गुप्ता बिना किसी सूचना आदेश के स्वेच्छा से लगातार 5 वर्षो से अधिक अवधि तक अवैध रुप से कार्यालय से अनुपस्थित रहे जिसके लिए वे दोषी हैं। बिहार सेवा संहिता के नियम 76 (क) (ख) के आलोक में सरकार के अनुमोदनोपरान्त श्री विजय प्रसाद गुप्ता, अनुसेवक को आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवा मुक्त किया जाता है।"

Apparently, the impugned order is in teeth of law laid down in the case of Dr. Rabindra Nath Singh Vs. The State of Bihar and others, reported in 1983 PUR 92 as also in violation of Rule 18 (iv) of C. C.A. Rules.

In view of aforesaid facts and circumstances, the impugned order, contained in Office Order No. 355 dated 19.09.2013, passed by respondent no. 3 is, hereby, set aside and quashed. The matter is remitted back for its consideration in accordance with law from the stage of Enquiry.

With above observation and direction, the writ petition stands disposed of.

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में वादी श्री विजय प्रसाद गुप्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.01.2023 के माध्यम से सेवा में पुनः स्थापन संबंधी आवेदन समर्पित किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विभागीय कार्यालय आदेश

सं0–211 सहपठित ज्ञापांक–4327 दिनांक–03.08.2023 द्वारा श्री विजय प्रसाद गुप्ता, सेवामुक्त कार्यालय परिचारी के विरूद्ध निर्गत सेवामुक्ति से सम्बन्धित दंडादेश कार्यालय आदेश सं0–355 सहपठित ज्ञापांक–10811 दिनांक–19.09.2013 को निरस्त करते हुए श्री गुप्ता के आवेदन की तिथि 18.01.2023 से उनका योगदान स्वीकृत किया गया। साथ ही बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(5) के तहत अगले आदेश तक इन्हें निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, कार्य अंचल, बेतिया निर्धारित किया गया।

4. श्री गुप्ता के विरूद्ध माह मई–2006 से मार्च–2012 तक बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश सं0–253 सहपठित ज्ञापांक–5396 दिनांक–22.09.2023 द्वारा मुख्य अभियंता–03, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया। श्री गुप्ता के दिनांक–31.10.2023 को सेवानिवृत्त होने के कारण विभागीय कार्यालय आदेश सं0–317 सहपठित ज्ञापांक–6440 दिनांक–08.11.2023 द्वारा इन्हें दिनांक–31.10.2023 के अपराह्न से निलम्बन मुक्त किया गया। इस क्रम में विभागीय कार्यलय आदेश सं0–6441 सहपठित ज्ञापांक–6441 दिनांक–08.11.2023 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 बी0 के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

5. उक्त विभागीय कार्यवाही में मुख्य अभियंता–03 सह संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–6357 दिनांक–09.11.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में अनुपस्थित अवधि मई–2006 से मार्च–2012 के संदर्भ में कोई मंतव्य अंकित नहीं होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम, 2005 के नियम 18(1) के तहत विभागीय पत्रांक–8202 दिनांक–27.12.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन वापस करते हुए उक्त अनुपस्थित अवधि के संदर्भ में नियमानुसार जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। मुख्य अभियंता–03 सह जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–578 दिनांक–18.03.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का संशोधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्री गुप्ता के दिनांक–17.01.2008 से 31.01.2008 तक डियूटी से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के आधार पर माह मई–2006 से मार्च–2012 तक बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधित आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

6. उक्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभाग द्वारा जाँच संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के आलोक में श्री विजय प्रसाद गुप्ता से विभागीय पत्रांक–2453 दिनांक–16.05.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री गुप्ता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर विभाग में दिनांक–12.06.2024 को प्राप्त हुआ। द्वितीय कारण पृच्छा के साथ कार्यालय में उपस्थित रहने का साक्ष्य संलग्न कर उपलब्ध नहीं कराने के कारण इनसे विभागीय पत्रांक–894 दिनांक–24.01.2025 द्वारा साक्ष्य की मांग की गयी। श्री गुप्ता द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर के समर्थन में दिनांक–28.03.2025 को समर्पित आवेदन के साथ कतिपय साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

7. श्री विजय प्रसाद गुप्ता के माह मई 2006 से बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, अनुपस्थिति के सम्बन्ध में ससमय स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने, लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 14.04.2012 को समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित किए जाने के उपरांत दिनांक 16.04.2012 को उनके द्वारा विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय कार्यालय आदेश सं0–253 सहपठित ज्ञापांक–5396 दिनांक–22.09.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप श्री गुप्ता द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में दिए साक्ष्य तथा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख/कागजात के अनुसार इनकी कार्यालय में उपस्थिति की अवधि एवं अनुपस्थिति अवधि का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	आरोप के अनुसार कार्यालय से अनुपस्थित अवधि	आरोपी कर्मी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के अनुसार उपस्थित अवधि	कार्यालय से अनुपस्थित अवधि
1	2	3	4
1	मई 2006 से मार्च 2012 तक (01 मई 2006 से 31.03.2012)	22.10.2006 से 28.12.2006 तक उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन समर्पित एवं 29.12.2006 को योगदान, दिनांक 16.12.2007 से 31.01.2008, दिनांक 19.05.2008 से 26.05.2008 तक	01.05.2006 से 21.10.2006, 30.12.2006 से 15.12.2007, 01.02.2008 से 18.05.2008, 27.05.2008 से 31.03.2012

8. उपर्युक्त अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री विजय प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यालय परिचारी, अपने सेवाकाल में मई 2006 से मार्च 2012 के बीच अधिकांश अवधि में बगैर सूचना के और सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित रहे है जो इनकी अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है। अतएव, इनके द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री गुप्ता को निम्नांकित दण्ड के साथ संगत अनुमान्य लाभों की स्वीकृति दी जाती है :–

(i) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) एवं 139 के अंतर्गत पेंशन से प्रतिमाह 20 % (बीस प्रतिशत) की कटौती 5 वर्ष तक किए जाने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

(ii) निलम्बन अवधि दिनांक 06.09.2012 से 19.09.2013 (सेवामुक्ति की तिथि) के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि की गणना सेवांत लाभों के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(iii) उक्त कंडिका–7 की तालिका के कॉलम–4 में अंकित कार्यालय से अनधिकृत अनुपस्थित अवधि यथा दिनांक 01.05.2006 से 21.10.2006, 30.12.2006 से 15.12.2007, 01.02.2008 से 18.05.2008 एवं 27.05.2008 से 31.03.2012 तक की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित किया जाता है।

(iv) दिनांक 20.09.2013 से सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2023 के बीच की अवधि कर्तव्य पर बिताई गयी अवधि के रूप में मानी जायेगी और इस अवधि के लिए इन्हें वेतन सहित अनुमान्य भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

9.. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

Skumar
05/8/25
(संजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–11/अ0प्र0–07–08/2014 8550 /पटना, दिनांकः– 5.8.25

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/मुख्य अभिंयता–05, मुजफ्फरपुर/संबंधित कोषागार/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/कार्यपालक अभिंयता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–01 एवं 02/श्री विजय प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन अनुसेवक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–01 सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता– ग्राम–सिराजावाद, पो0–गन्नीपुर बेझा, थाना–सकरा, जिला–मुजफ्फरपुर–843105/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Skumar
05/8/25
(संजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव